

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
(पूर्व नाम जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर)



क्रमांक/स्था./2023/627

जबलपुर, दिनांक: 14/07/2023

अधिसूचना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 11.04.2023 (छात्र शिकायत का निवारण) विनियम 2023 की कंडिका- 05 के अंतर्गत विश्वविद्यालय में निम्नानुसार "छात्र शिकायत निवारण समिति (एस.जी.आर.सी.)" का गठन किया जाता है:-

- | | | | |
|----|---|---|----------------------|
| 1. | प्रो. विवेक मिश्रा | - | अध्यक्ष |
| 2. | प्रो. ममता राव, विधि विभाग | - | सदस्य |
| 3. | प्रो. जे.के.मैत्रा, गणित विभाग | - | सदस्य |
| 4. | प्रो. विशाल बन्ने, शारीरिक शिक्षण विभाग | - | सदस्य |
| 5. | डॉ. नंदिता सरकार, गृह विज्ञान | - | सदस्य |
| 6. | सुश्री अंशिका पांडे, बी.पी.ई.एस. | - | विशेष आमंत्रित सदस्य |

उक्त समिति का कार्यकाल प्रावधानानुसार दो वर्ष होगा तथा विशेष आमंत्रित सदस्य का कार्यकाल एक वर्ष होगा। समिति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्र शिकायत का निवारण) विनियम 2023 की कंडिका- 05 में वर्णित प्रावधानानुसार छात्रों की शिकायतों का निवारण करेगी।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर

जबलपुर, दिनांक: 14/07/2023

पृ.क्र./स्था./2023/627(अ)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. उपरोक्त समिति के अध्यक्ष/सदस्यगण रा.दु.वि.वि.जबलपुर।
2. डॉ. नंदिता सरकार, गृह विज्ञान, महाविद्यालय, जबलपुर
3. संबंधित विभागाध्यक्ष/विभाग प्रमुख, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
4. वित्त नियंत्रक, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
5. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव जी के निज सहायक, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
6. सूचना पटल।

सहायक कुलसचिव (स्था.)
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर